प्रेस नोट दिनांक 02-09-2020

श्री विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी कर अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

श्री विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा कल दिनांक 01-09-2020 को समय 15:30 बजे पुलिस लाइन स्थित सभाकक्ष में अपराध गोष्ठी का आयोजन कर जनपद की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी।

महोदय द्वारा निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

1. 06 माह से अधिक अवधि से लंबित अभियोगों का विवरण।
2. आईटी अधिनियम के लंबित अभियोगों का विवरण।
3. महिला अपराध (धारा 354,363,366,376 भादवि0 का विवरण)।
4. गुमशुदा बालक / बालिकाओं की बरामदगी के संबंध में प्रयासों / कार्यवाही का विवरण।
5. धोखाधड़ी(419,420 भादवि0) के लिए लंबित अभियोगों का विवरण।
6. राजपत्रित अधिकारियों द्वारा की जा रही विवेचना का विवरण।
7. लंबित एस0आर0 का विवरण।
8. गिरफ्तारी हेतु शेष वांछित अभियुक्तों की सूची।
9. IGRS पोर्टल पर लंबित मामलों का विवरण।
10. लंबित प्रारंभिक जांच / विभागीय कार्यवाही 14 (1),14 (2) का विवरण।
11. चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लम्बित पत्रावली का विवरण।
12. माननीय न्यायालय में दाखिल किये जाने हेतु शेष आरोप-पत्र / अंतिम रिपोर्ट का विवरण।
13. पुलिस कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्राप्त प्रकरणों का विवरण।
14. कोरोना वायरस के दृष्टिगत लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग एवं उसके निस्तारण का विवरण।
15. उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली -2020 के स्तम्भ-2 की धारा 3,4,5 के उल्लंघन से संबंधित कार्यवाही का विवरण।
16. पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे 06 बिन्दुओं के अभियान के अन्तर्गत कृत कार्यवाही का विवरण।
17. शस्त्र निरस्तीकरण की कार्यवाही का विवरण।
18. शासन द्वारा चलाये जा रहे धारा 107, 116, 116(3), 117, 122 एवं 145 सीआरपीसी की कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान का विवरण।

19- अवैध शराब निष्कर्षण पर प्रभावी नियंत्रण लगाने हेतु निर्देशित किया गया।
20- अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अवैध तस्करी पर रोक लगाने हेतु निर्देशित किया गया।
21- डायल-112 की गाड़ियो की चेकिंग सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा प्रतिदिन करने हेतु निर्देशित किया गया।
22- जिस थानक्षेत्र में नए पुलिस चौकी की आवश्यकता है। स्थापना हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात महोदय द्वारा विवेचनाओं के निस्तारण, पुराने मामलों के निस्तारण, जनशिकायत द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये। शहर व ग्रामीण इलाकों में पैदल गश्त, बैंकों की सुरक्षा, सी0सी0टी0वी0 आदि के संबंध में जागरूकता, साइबर अपराध के रोकथाम सम्बन्धी प्रचार-प्रसार, साक्ष्य के आधार पर विवेचनाओं का निस्तारण एवं अभियुक्तों के प्रति वैधानिक कार्यवाही, निरोधात्मक कार्यवाही में गुण्डा अधिनियम,गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने आदि बिन्दुओं पर महोदय द्वारा निर्देश दिया गया।

उक्त गोष्ठी में समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रतिसार निरीक्षक, निरीक्षक प्रज्ञानशाखा, निरीक्षक रेडियो शाखा, समस्त प्रभारी निरीक्षक /थानाध्यक्ष, आशुलिपिक पुलिस अधीक्षक, प्रभारी आंकिक शाखा, प्रभारी डीसीआरबी शाखा, प्रभारी विशेष जॉच प्रकोष्ठ, प्रभारी विशेष शिकायत प्रकोष्ठ, प्रभारी यू0पी0-112, प्रभारी यातायात, रीडर व पी0आर0ओ0 पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

02
प्रेस नोट दिनांक 02-09-2020

कल दिनांक 01-09-2020 को श्री विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा सैनिक सम्मेलन कर पुलिस कर्मियों की समस्याओं के निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।
जनपद के विभिन्न थानों से आये पुलिस कर्मियों का सैनिक सम्मेलन किया गया। जिसमें कर्मचारीगण द्वारा उठाई गयी समस्याओं के निराकरण की जानकारी ली गयी। सैनिक सम्मेलन के दौरान कतिपय कर्मियों द्वारा समस्याएं बताई गयी, जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुये निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर अपने उच्चाधिकारियों से सम्पर्क करें समाधान न होने पर व्यक्तिगत रूप से मिल सकते है, व्हाट्सएप कर सकते है एवं जरिए दूरभाष वार्ता कर सकते है। पूर्व में पुलिस कर्मियों की शिकायत के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी।
पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा बताया गया कि पुलिस कर्मियों की सेवा सम्बन्धी/वेतन सम्बन्धी/अन्य देयकों एवं सभी प्रकार की समस्यों का निस्तारण करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं मे से एक है।

03
प्रेस नोट दिनांक- 02.09.2020

थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर पर पंजीकृत मु0अ0स0 60/2020 धारा 363/366/376/504/506 IPC व 3(2)53, (2)3, ए5(1)द SC/ST Act में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।
श्री विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा "अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी" हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री उमेश शर्मा, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 02.09.2020 को महेंद्र चौहान, थानाध्यक्ष थाना पथरा बाजार के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 60/2020 धारा 363/366/376/504/506 IPC व 3(2)53, (2)3, ए5(1)द SC/ST Act में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
अभियुक्त का विवरण:-
गोलू उर्फ मोहम्मद आजाद पुत्र समालू ग्राम रमवापुर थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-
01. श्री महेन्द्र चौहान, थानाध्यक्ष थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।
02. उ0नि0 श्री अशोक कुमार पाल, थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।
03. का0 धर्मेन्द्र सिंह, थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

06
प्रेस नोट दिनांक 02-09-2020

दिनांक 02-09-2020 नोवेल कोरोना वायरस महामारी के दृष्टिगत लगाए गए निषेधाज्ञा/लॉकडाउन तथा जनपद में धारा 144 का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं फर्राटा भरने वाले वाहनों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु श्री विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-02-09-2020 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 174 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 78 वाहनों का चालान कर कुल 75,100/- रुपये शमन शुल्क वसूल किया गया।

04

प्रेस नोट दिनांक- 02.09.2020

नशीली गोलियों सहित करीब सवा लाख के चोरी के जेवरात बरामद, एक चोर गिरफ्तार ।

श्री विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण व श्री धर्मेन्द्र कुमार, क्षेत्राधिकारी, शोहरतगढ़ के निर्देशन श्री तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना ढेबरूआ के कुशल नेतृत्व मे उप-निरीक्षक श्री महेश सिंह, प्रभारी चौकी बढ़नी द्वारा हमराह पुलिस बल के सहयोग से दिनांक 02.09.2020 को एक अभियुक्त को पश्चिम पोखरा बढ़नी के पास से उस समय गिरफ्तार कर लिया गया, जब वह नेपाल राष्ट्र भागने की फ़िराक मे था । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लोहिया नगर मे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि मे हुयी चोरी से सम्बन्धित आभूषण तथा भारी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पूर्व कस्बा बढ़नी के लोहिया नगर वार्ड में श्री पुष्पेंद्र सक्सेना के मकान में चोरी हो गई थी। अभियुक्त के कब्जे से उक्त घटना से संबंधित चोरी गया माल मशरूका सोने के आभूषण बरामद हुये । बरामद हुए आभूषणों की कीमत लगभग एक लाख पचीस हजार आकलित की जा रही है । इस बरामदगी की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे मुकदमे के वादी श्री पुष्पेंद्र सक्सेना व उनकी पत्नी विधि सक्सेना ने जब अपनी चोरी गई सोने की अंगूठी, सोने का झाला, सोने की कनौती व सोने के टप्स तथा अन्य आभूषणों की शिनाख्त किया और एक बार फिर उन्होंने पुलिस टीम को धन्यवाद दिया । अभियुक्त किशन वर्मा अभी कुछ दिन पूर्व न्यायालय से अंतरिम जमानत पर मुक्त होकर आया था यह एक शातिर चोर है । अभियुक्त की गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर उसके विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर के न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1- किशन वर्मा पुत्र अनिल वर्मा निवासी वार्ड नंबर 6 कस्बा बढ़नी थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी-

1. 300 अदद नशीली गोलियां।
2.01अदद सोने की अंगूठी।
3. एक जोड़ी सोने का कान का झला ।
4.एक जोड़ी सोने की कान की कनौती ।
5. एक अदद सोने का टप्स ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उप-निरीक्षक श्री महेश सिंह, प्रभारी चौकी बढ़नी थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।
2. उ. नि. श्री दयानंद यादव, चौकी बढ़नी थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।
3. का0 अभयनंदन, चौकी बढ़नी थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।
4. का0 संजय सिंह, चौकी बढ़नी थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।

05

प्रेस नोट दिनांक- 02.09.2020

अवैध तमंचे के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्री विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण व श्री धर्मेन्द्र कुमार, क्षेत्राधिकारी, शोहरतगढ़ के निर्देशन तथा श्री तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना ढेबरूआ के कुशल नेतृत्व मे उप-निरीक्षक श्री राजेश कुमार मौर्य, प्रभारी चौकी कठेला द्वारा हमराह पुलिस बल के सहयोग से दिनांक 02.09.2020 को एक अभियुक्त को कठेला कोठी में गोपीनाथ स्मृतिद्वार के पास गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी अवैध तमंचा मय कारतूस बरामद हुआ । इस बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर के उसे न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1- गोलू उर्फ विनोद विश्वकर्मा पुत्र भारत विश्वकर्मा निवासी कठेला कोठी थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी-

एक अदद तमंचा व एक कारतूस 315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उप-निरीक्षक श्री राजेश कुमार मौर्य, प्रभारी चौकी कठेला थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।
2. हे.का. रविंद्र नाथ यादव,चौकी कठेला थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।
3. हे.का. दीनानाथ यादव, चौकी कठेला थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।
4. का. राम अवधेश, चौकी कठेला थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।
5. का. वीर बहादुर यादव, चौकी कठेला थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।
6. का. अर्जुन यादव, चौकी कठेला थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।